न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– देवेन्द्र कुमार
आई०ए०एस०

भरण पोषण अपील सं० 21/2024

1. रमेशचन्द पुत्र किशनलाल
2. नरेन्द्र कँवर पत्नी रमेशचन्द जातियान बैरवा निवासी दिलावरिया की ढाणी वार्ड 37 बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा

...अपीलांट्स

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1. किशनलाल पुत्र स्व. श्री सोहनलाल उम्र 69
2. रोहिताश पुत्र किशनलाल उम्र 34
3. श्रीमती सोनू पत्नी रोहिताश उम्र 31

समस्त जाति बैरवा निवासी दिलावरिया की ढाणी बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा

...रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 18.10.2024 वाद संख्या 12/2023 उनवानी प्रकरण किशनलाल बनाम रमेशचन्द वगै. अन्तर्गत प्रार्थना पत्र माता–पिता और वरिष्ठ नागरिको के भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 5 (1) (ए) (बी)

उपस्थित : 1. श्री राजेन्द्र जांगिड, अधिवक्ता अपीलांट्स।
2. श्री मिट्ठन लाल गुर्जर, अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट्स।

निर्णय दिनांक 25.6.2025

1. संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांट ने उप जिला कलक्टर बांदीकुई द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.10.2024 जो कि प्रकरण सं० 12/2024 उनवानी किशनलाल बनाम रमेशचंद आदि से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि प्रार्थी श्री किशनलाल पुत्र सोहनलाल जाति बैरवा उम्र 68 निवासी दिलावरियान का बास वार्ड नं० 37, जागीर बांदीकुई जिला दौसा द्वारा जर्ये अधिवक्ता श्री के० कमलसिंह एवं जगदेव कसाना अन्तर्गत माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है– प्रार्थी आवेदक 68 वर्षीय वृद्धावस्था का वरिष्ठ नागरिक है तथा अप्रार्थीगण रमेश एवं रोहिताश पिता है एवं अप्रार्थीगण संख्या 03 एवं 04 क्रमशः नीलम एवं सोनू प्रार्थी की पुत्रवधुएं है। प्रार्थी रेलसेवा से सेवानिवृत कर्मचारी है जिसकी पत्नी जमनादेवी का दिनांक 03.02.2020 को देहान्त हो चुका है। प्रार्थी की दो पुत्रियां अनीता एवं कृष्णा विवाह उपरान्त अपने ससुराल में बस गई है। अप्रार्थीगण संख्या 01 लगा० लगा० 04 प्रार्थी की इजाजत से प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण संख्या 01 लगा० 04 प्रार्थी के स्वयं की आय एवं मेहनत से जागीर बांदीकुई हाल वार्ड संख्या 37 से सन् 1997 में बनाये गये में प्रार्थी के स्वामित्व, स्वत्व एवं अधिकारी के पुख्ता मकान में रह रहे है। प्रार्थी ने सन् 1989 में अपनी निजी मेहनत तथा नौकरी से प्राप्त हुए वेतन भूखण्ड से पूर्व पश्चिम 14 पुराने गज x उत्तर दक्षिण 17 पुराने गज में पूर्व मुखी मकान का निर्माण किया है तथा जिसके पूर्व में खुद की जमीन, पश्चिम में रास्ता, उत्तर में रास्ता, दक्षिण मकान रामफुल का स्थित है तथा उसमें प्रार्थी अपने परिवार के साथ रहता चला आ रहा है। प्रार्थी की पत्नी श्रीमति जमना देवी के दिनांक 03.02.2020 में फौत हो जाने पर प्रार्थी कतई असहाय एवं बेसहारा हो गया है तथा लगातार बीमार रहने लगा है तथा घुटनों के तीव्र दर्द के कारण चलने फिरने तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:49:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपने दैनिक कार्य करने में भी असमर्थ है तथा प्रार्थी को अपने दैनिक कार्यो को करने के तथा भोजन पकाने के लिये भी दीगर लोगों के सहारे की सख्त आवश्यकता होती है लेकिन विपक्षीगण कतई कर्तव्य विमुख है तथा वे प्रार्थी को सहारा देने तथा उसकी दैनिक कार्यो में मदद करने तथा उसे समय पर भोजन पानी दवा इत्यादि देने तथा चिकित्सा उपलब्ध कराने, सेवा करने तथा प्रार्थी का मेन्टीनेन्स करने से कतई इन्कार है तथा वे प्रार्थी को अपने उक्त मकान से जबरन बेदखल करने तथा सम्पूर्ण मकान पर अपना जबरन कब्जा करने को आमादा हो रहे है तथा वे प्रार्थी के सामान को घर के बाहर फेंक देते है तथा प्रार्थी को उक्त मकान छोड़कर चले जाने स्वयं मर जाने की धमकी देते है तथा प्रार्थी को गन्दी गन्दी गालियाँ देते है। दिनांक 14.05.2023 को शाम के समय जब प्रार्थी अपने बिस्तर पर पडा हुआ था तो उते तीव्र प्यास लगी तो प्रार्थी ने बिस्तर से उठने की कोशिश की लेकिन वह लडखडाकर गिर गया। उस समय अप्रार्थीगण वहीं मौके पर मौजूद थे लेकिन उन्होंने प्रार्थी को ना तो सहारा दिया ना ही पानी पिलाया तथा प्रार्थी के पानी मांगने पर उन्होंने प्रार्थी को मर जाने की बददुआँ देते हुए गालियाँ दी तो प्रार्थी ने आवाज देकर अपने भाई रामधन को बुलाया जिसने प्रार्थी को उठाया तथा प्रार्थी को पानी पिलाया। प्रार्थी ने उसी समय अप्रार्थीगण से उन्हें प्रार्थी को मकान खाली करके वहां से चले जाने के लिये कहा तथा प्रार्थी ने उन्हें एलानियाँ कहा कि प्रार्थी अब अप्रार्थीगण को अपने मकान में नहीं रखेगा तथा वे मकान खाली करके चला जाये तो अप्रार्थीगण को सख्त नाराजगी हुई तथा वे प्रार्थी के साथ मारपीट करने को अमादा हो गये तथा अप्रार्थी संख्या 03 नीलम ने एलानियाँ कहा कि वे जूते के जोर पर मकान में रहेगें तथा मकान खाली नहीं करेगें तथा सायल को जबरन बेदखल करेगें वे प्रार्थी का सामान भी बाहर फेंकने लगे, तो मौके पर इकटठें हुए रामधन मुकेश, लक्ष्मण वगैरा ने बमुश्किल प्रार्थी को बचाया। अप्रार्थीगण संख्या एक व दो के प्रार्थी के पुत्र होने से तथा अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 प्रार्थी की पुत्र वधुए होने से उनका प्रार्थी की देखभाल करने, सेवा करने तथा प्रार्थी को सहारा देने, प्रार्थी को समय पर खाना दवा, चिकित्सा सूविधा उपलब्ध कराने तथा प्रार्थी को मैन्टीनेन्स देने की जिम्मेदारी कर्तव्य एवं दायित्व है लेकिन अप्रार्थीगण अपने कर्तव्य से पूर्णतः विमुख है तथा प्रार्थी द्वारा उन्हें प्रार्थी के उक्त मकान को छोडकर चले जाने हेतु कहने पर भी वे मकान खाली करके जाने से कतई इन्कार है बल्कि वे प्रार्थी को ही मकान से जबरन बेदखल करने को आमादा हो रहे है। प्रार्थी को अपनी गुजर बसर हेतु तीस हजार रूपये मासिक तथा अपनी सेवा सुश्रुषा हेतु अटैण्ड रखने हेतु 15,000/– रूपये मासिक तथा अपनी चिकित्सा, दवाई, फल इत्यादि हेतु 15,000/– रूपये मासिक कुल 60,000/– रूपये की सख्त आवश्यकता है जिसमें से प्रार्थी को सत्ताईस हजार रूपये मासिक पैन्सन के प्राप्त हो जाते है तथा बाकी 33,000/– रूपये मासिक रूपये अप्रार्थीगण प्रार्थी को अदा करने को सक्षम है जो अप्रार्थीगण से प्रार्थी को दिलाया जाना न्योयोचित है। प्रार्थी को अप्रार्थीगण से 33,000/– रूपये मासिक मेन्टीनेन्स खर्चा दिलाया जावे एवं वसुल कराया जावे। अप्रार्थीगण पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थी का अपमान नही करे, प्रार्थी को गालियाँ स्वयं बद्दुआए नहीं दें तथा दुर्व्यवहार नहीं करे तथा प्रार्थी को सम्मान पूर्वक शान्ति से अपनी वृद्धावस्था में अपना बाकी का जीवन यापन करने में कतई किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करे तथा प्रार्थी का बतौर उनके पिता सम्मान करें तथा प्रार्थी की सेवा सुश्रुषा करे तथा प्रार्थी की वृद्धावस्था में उसको सहारा दे तथा समय पर उसे भोजन पानी दवा चिकित्सा इत्यादि को उपयुक्त सुविधा प्रदान करें। अन्य अनुतोष जो न्यायोचित तमले बहक प्रार्थी थे और अता फरमायी जावे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की तलबी अप्रार्थीगण की गई अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 की ओर से ऋषभदेव जैमन द्वारा वकालतनामा पेश किया एवं 2 लगायत 4 स्वयं [illegible] आये। अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 की ओर से निम्न जवाब पेश किया [illegible] नम्बर 01 लगायत 06 स्वीकार है। वादी ने पैरा नम्बर [illegible] मिन अप्रार्थीगण 01 व 03 व 02 व 04 की वार्षिक आय 12 लाख रूपये दर्शाई है वो वादी स्वयं साबित करे मिन अप्रार्थीगण की आय वार्षिक मात्र 50,000 रूपये है मिन अप्रार्थी संख्या 02 मजदूरी का कार्य करता है जो कभी मजदूरी मिलती है कभी नहीं मिलती है। मजदूरी मिलती है उस दिन 400रू प्रतिदिन के प्राप्त होते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:49:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

तथा पूरे वर्ष में मात्र करीब 6 माह मजदूरी प्राप्त होती है। तथा मिन प्रार्थी के एक पुत्री चारूल जो कक्षा 4 में पढ़ती है तथा एक पुत्र प्रियांशु उम्र 5 वर्ष जो एल.के.जी में अध्ययन है जो प्राईवेट स्कूल में अध्ययनरत है। उनकी पढाई एवं भरण–पोषण की पूर्ति बडी मुश्किल से मिन प्रार्थी संख्या 02 कर पाता है मिन अप्रार्थी संख्या 04 गृहणी है जिसके पास कोई कमाई का जरिया नहीं है। इसके बावजूद मिन अप्रार्थीगण, प्रार्थी किशनलाल की देख–रेख, सेवा सुश्रुषा का पूरा ध्यान रखते है व अपनी हैसियत अनुसार सुख सुविधा उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश करते है। प्रार्थना पत्र के जिम्मन नं. 08 का आधार संख्या 1 जिस तरीके से तहरीर किया गया है। गलत है अस्वीकार है। वादी का यह कथन कि वह 68 वर्ष का सीनियर सीटीजन है। तथा मिन अप्रार्थीगण हैं उसके पुत्र एवं पुत्रवधु है तथा वह रेलवे से सेवानिवृत्त कर्मचारी है तथा उसकी पत्नी का 03.02.2020 को देहान्त हो चुका है। तथा उसकी पुत्रियों ससुराल में आबाद है स्वीकार है। लेकिन प्रार्थी का यह कथन की मिन अप्रार्थीगण संख्या 02 व 04 उसकी ईजाजत से उसकी आय व मेहनत से बनाये मकान में रह रहे है। बिलकुल गलत है एवं अस्वीकार है। उपरोक्त प्रार्थी द्वारा बताये गया मकान मिन अप्रार्थीगण के दादा व दादी ससुर सोहनलाल ने स्वयं की पुश्तैनी जमीन में बनवाया था। जिम्मन नं. 08 का पैरा नंबर 02 जिस तरीके से तहरीर 4 किया गया हैं गलत है एवं अस्वीकार हैं। समस्त कथन मनगढन्त बेबुनियादी झूठे है। प्रार्थी अप्रार्थी 2 व 4 व मिन अप्रार्थी संख्या 1 व 3 का पुस्तैनी मकान मे रहना स्वीकार है। यह है कि एवं प्रार्थना पत्र के जिम्मन नंबर 08 के पैरा नंबर 03 में जमना देवी की मृत्यु होना स्वीकार है। लेकिन प्रार्थी का यह कहना कि वह असहाय एवं बेसहारा है तथा वह बीमार रहता है घुटनों में दर्द रहता है चलने फिरने में असमर्थ हैं तथा अपने दैनिक कार्य करने में असमर्थ हैं तथा उसे सहारे की जरूरत है तथा मिन अप्रार्थी उसको हेरान परेशान व गाली देते है तथा रामधन ने उसे पानी पिलाया तथा व बिस्तर से नीचे गिर गया तथा रामधन ने उसे पानी पिलाया, उन्होने प्रार्थी के साथ मारपीट करने की कोशिश की तथा उसे मकान से बाहर निकालने की कोशिश की तथा रामधन वगैहरा ने उसका बीचबचाव करवाया है। उपरोक्त समस्त कथन मनगढन्त झूठे व बेबुनियादी है। प्रार्थना पत्र का जिम्मन नंबर 08 को पैरा नंबर 04 बिलकुल गलत है एवं अस्वीकार है। मिन अप्रार्थी संख्या 02 व 04 प्रार्थी की आर्थिक रूप से अपनी हैसियत अनुसार व पूर्ण सेवा सुश्रुषा करते है। तथा प्रार्थी द्वारा वर्णित मकान प्रार्थी का नहीं होकर के पैतृक सम्पत्ति है। जिस पर मिन अप्रार्थी संख्या 02 को विरासत से प्राप्त अपने हिस्से में भली भांति निवास कर रहा है। उसे बेदखल करने का प्रयास करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जिम्मन नंबर 08 का बिन्दू संख्या 05 व 06 बिलकुल गलत एवं अस्वीकार है। जिम्मन नंबर 09 व 10 की दादरसी बिलकुल गलत है एवं अस्वीकार है। अतिरिक्त कथन मिन अप्रार्थी संख्या 02 व 04 पुत्र धर्म व पुत्रवधु धर्म का पालन करते है अपनी हैसियत अनुसार प्रार्थी की पूर्ण सेवा सुश्रुषा कर रहा है प्रार्थी स्वयं पेन्शनर जिसको किसी प्रकार के भरण–पोषण भत्ते की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 01 व 03 आपस में मिले हुये है तथा मिन अप्रार्थी अपनी हैसियत अनुसार प्रार्थी की पूर्ण सेवा सुश्रुषा कर रहा है फिर भी प्रार्थी मिन अप्रार्थी संख्या 02 व 04 को हैरान परेशान करता है। अप्रार्थी संख्या 01 व 03 प्रार्थी से मिले हुये है जिन्होने से षडयन्त्र पूर्वक इसलिए उन्होने पडयन्त्र रचकर उक्त झूठा प्रार्थना पत्र बिल्कुल गलत आधारों पर पेश किया है। जो भारी हर्जे खर्चे के साथ खारिज फरमाये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से निम्न जवाब पेश किया है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नंबर 01 लगायत 06 इस आपत्ति के साथ स्वीकार है कि अप्रार्थी संख्या 03 का नाम नीलम नहीं होकर [illegible] है। प्रार्थी ने पैरा नंबर 07 में जो स्वयं की एवं मिन अप्रार्थीगण 1 व 03 व 02 व 04 की वार्षिक [illegible] 2 लाख रूपये दर्शाये है वो प्रार्थी स्वयं साबित करे मिन अप्रार्थीगण की [illegible] मिन अप्रार्थी संख्या 01 पूर्व में प्राईवेट स्कूल में पढ़ाता था। [illegible] प्राप्त होते थे जहाँ उसका शोषण ज्यादा होता था। इससे परेशान होकर प्रार्थी ने खुली मजदूरी शुरू कर दी है जिससे उसे 400 रू प्रतिदिन के प्राप्त होते है। तथा पूरे वर्ष में मात्र मजदूरी लगभग 6–7 महीने ही प्राप्त होती है। तथा मिन प्रार्थी संख्या 01 व 03 के क्रमश दो पुत्री महिमा 18 वर्ष द्वितीय वर्ष एवं इक्षिका

Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:49:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

अध्ययनरत कक्षा 08 एवं एक पुत्र मयंक अध्ययनरत कक्षा 05 में है जो प्राईवेट कॉलेज एवं प्राईवेट स्कूल में अध्ययनरत हैं। उनकी पढाई एवं भरण–पोषण की पूर्ति बडी मुश्किल से मिन अप्रार्थी संख्या 01 कर पाता है मिन अप्रार्थी संख्या 03 गृहणी है जिसके पास कोई कमाई का जरिया नहीं है। प्रार्थना पत्र के जिम्मन नंबर 08 का आधार संख्या 1 जिस तरीके से तहरीर किया गया है। गलत है अस्वीकार हैं। प्रार्थी का यह कथन कि वह 68 वर्ष का सीनीयर सीटीजन है तथा मिन अप्रार्थीगण उसके पुत्र एवं पुत्र वधु है तथा वह रेलवे से सेवानिवृत कर्मचारी है तथा उसकी पत्नी का 03. 02.2020 को देहान्त हो चुका है। तथा उसकी पुत्रियों ससुराल में आबाद है स्वीकार हैं। लेकिन प्रार्थी का यह कथन कि मिन अप्रार्थीगण 01 व 03 उसकी ईजाजत से उसकी आय व मेहनत से बनाये मकान में रह रहे है। बिलकुल गलत है एवं अस्वीकार है। उपरोक्त प्रार्थी द्वारा बताये गया मकान मिन अप्रार्थीगण के दादा व दादी ससुर सोहनलाल ने स्वयं की पुश्तैनी जमीन में बनवाया था। तथा सोहनलाल जी व उसकी पत्नी भौरीदेवी ने ही मिन अप्रार्थी संख्या 01 की माता श्रीमति छोटी देवी जिसका देहान्त मिन अप्रार्थी की 3–1/2 वर्ष की उम्र में हो गया था। मिन अप्रार्थी की शादी पढाई लिखाई दादा सोहनलाल द्वारा की है। तथा वे अपने जीवनकाल में अप्रार्थी संख्या 01 को अलग से मकान बनाकर देकर गये थे। प्रार्थी जो कि शुरू से ही क्रूर स्वभाव का है। जो मिन प्रार्थी संख्या 01 की माँ छोटी देवी को हैरान परेशान करता था इस कारण उसने दिनांक 13.02.1978 को कुए में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद से प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 02 की माँ से विवाह कर लिया था। इसके बाद अप्रार्थी संख्या 01 की परवरिश दादा–दादी ने ही की है। तथा वे अपने जीवनकाल में अपनी जायदाद में मकान व जमीन में से 1/2 हिस्सा समस्त भाई बन्धुओं के सामने देकर काबिज करवा गये थे। तब से ही मिन अप्रार्थी संख्या 01 उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। प्रार्थी का उससे किसी प्रकार का कोई संबंध सराकार नहीं है। मिन अप्रार्थी संख्या 01 ही उक्त मकान तन्हा स्वामी है। जिम्मन नंबर 08 का पैरा नंबर 02 अस्वीकार है। प्रार्थी कोई निर्माण कार्य जिस तरीके से तहरीर किया गया है गलत है एवं ने अपने वेतन भत्तों से 1989 में किसी प्रकार का 6 कमरो व बरामदे का नहीं किया है। समस्त कथन मनगढन्त बेबुनियादी झूठे है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 02 व 04 व मित्र अप्रार्थी संख्या 01 व 03 का पुश्तैनी मकान में रहना स्वीकार है। लेकिन मिन अप्रार्थी संख्या 01 को उसके दादा–दादी पूर्व में ही 2 कमरे स्वयं के द्वारा निर्माण करके दे गये थें । प्रार्थना पत्र के जिम्मन नंबर 08 के पैरा नंबर 03 में जमना देवी की मृत्यु होना स्वीकार है । लेकिन प्रार्थी का यह कहना कि वह असहाय एवं बेसहारा है तथा वह बीमार रहता है । घुटनों में दर्द रहता है चलने फिरने में असमर्थ है तथा अपने दैनिक कार्य करने में असमर्थ है तथा उसे सहारे की जरूरत है तथा मिन अप्रार्थी उसको हैरान परेशान व गाली देते है तथा 14.05. 2023 को उसे प्यास लगने पर पानी नहीं पिलाया तथा व बिस्तर से नीचे गिर गया तथा रामधन ने उसे पानी पिलाया तथा उन्होने प्रार्थी के साथ मारपीट के करने की कोशिश की है तथा उसे मकान से बाहंर निकालने की कोशिश की है। तथा रामधन वगै. ने उसका बीच–बचाव करवाया है। उपरोक्त समस्त कथन मनगढन्त झूठे व बेबुनियादी है। रामधन शराबी व्यक्ति है जो अक्सर शराब के नशे में रहता है तथा अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति शराब के नशे में खुर्द बुर्द कर चुका है। तथा जिसके घरपर आये दिन कर्जदार कर्जा मांगने आते है। वो प्रार्थी को बहला फुसलाकर मिन अप्रार्थी संख्या 01, जो 1/2 हिस्से पर काबिज है उसे बेदखल करना चाहता है। इसलिए वह प्रार्थी को बहला फुसला कर घर में कलेश करवाता है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 02 व 04 ने आपस में षडयन्त्र रचकर रामधन की सलाह से यह प्रार्थना पत्र पेश करवाया है। प्रार्थना पत्र का जिम्मन नंबर 08 का पैरा नंबर 04 बिल्कुल गलत है एवं अस्वीकार है। मिन अप्रार्थी संख्या 01 व 03 प्रार्थी की आर्थिक रूप से कोई सहायता नहीं करते बल्कि तन मन से पूर्ण सेवा सुश्रुषा करते है । तथा प्रार्थी द्वारा वर्णित मकान प्रार्थी का नहीं होकर के पैतृक सम्पत्ति हैं। जिस पर मिन अप्रार्थी संख्या 01 को अपने दादा सोहनलाल व प्रार्थी के पिता से प्राप्त हुये है । प्रार्थी विरासत से प्राप्त अपने हिस्से में भली भांति निवास कर रहा है। उसे बेदखल करने का प्रयास करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है । जिम्मन नंबर 08 का बिन्दू संख्या 05 व 06 बिलकुल गलत एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:49:46 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अस्वीकार है। जिम्मन नंबर 09 व 10 की दादरसी बिलकुल गलत है एवं अस्वीकार है। अतिरिक्त कथन प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 02 व 04 आपस में मिले हुये हैं अप्रार्थी संख्या 02 शराब पीकर प्रार्थी की सह पर मिन अप्रार्थीगण संख्या 01 व 03 को शराब पीकर गाली गलौच करता है । तथा हैरान परेशान करता है । तथा अप्रार्थी संख्या 04 मिन अप्रार्थी संख्या 01. व उसकी पत्नी को प्रार्थी की सहमति व शह पाकर के सौतेला होने का उलहाना देकर घर से निकालने पर आमादा हैं इसलिए उन्होने पडयन्त्र रचकर उक्त झूठा प्रार्थना पत्र बिलकुल गलत आधारों पर पेश किया है। जो भारी हर्जे खर्चे के साथ खारिज फरमायें जाने योग्य है। प्रकरण साक्ष्य प्रार्थी पर नियत किया गया। प्रार्थी की ओर से स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया। जिरह अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा की गई। तत्पश्चात् साक्ष्य प्रार्थी बंद की जाकर पत्रावली साक्ष्य अप्रार्थीगण पर नियत की गई। अप्रार्थीगण संख्या 01 व 03 की ओर से स्वयं का साक्ष्य शपथ–पत्र पेश किया गया। जिरह प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा की गई। साक्ष्य अप्रार्थीगण बंद की जाकर पत्रावली वास्ते बहस पर नियत की गई। अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र से अंकित तथ्यों को ही पुनः दोहराते नर्क किया कि प्रार्थी को अप्रार्थीगण से 33,000/– रूपये मासिक मेन्टीनेन्स खर्चा दिलाया जावे एवं वसूल कराया जावे। अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थी का अपमान नहीं करे, प्रार्थी को गालियाँ स्वयं बद्दुआँ नहीं दे तथा दुर्व्यवहार नहीं करे तथा प्रार्थी को सम्मान पूर्वक शान्ति से अपनी वृद्धावस्था में अपना बाकी का जीवन–यापन करने में कतई किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करे तथा प्रार्थी का बतौर उनके पिता सम्मान करें तथा प्रार्थी की सेवा सुश्रुषा करे तथा प्रार्थी की वृद्धावस्था में उनको सहारा दे तथा समय पर उसे भोजन पानी दवा चिकित्सा इत्यादि को उपयुक्त सुविधा प्रदान करें अन्य अनुतोष जो न्यायालय हाजा न्यायोचित समक्ष बहक प्रार्थी और अता फरमायी जावे। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन प्रकरण एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 6192/2021 में पारित निर्णय दिनांक 27.03.2023 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 एवं 03 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क करते हुए जवाब प्रार्थना–पत्र तथा साक्ष्य शपथ–पत्र में प्रस्तुत तथ्यों को ही पुनः दोहराते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को पडयन्त्र रचकर बिलकुल गलत आधारों पर पेश किया जाना बताते हुए भारी हर्जे खर्चे के साथ खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थीगण संख्या 02 एवं 04 की ओर से दौराने बहस कोई उपस्थित नहीं आया। हमने बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण सुनी गयी। अधिवक्तागण पर मनन या गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का गहन अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी द्वारा मूल रूप से प्रार्थी को अप्रार्थीगण से निम्न इस्तदुआ चाही है कि उसे अप्रार्थीगण से 33,000/– रूपये मासिक मेन्टीनेन्स खर्चा दिलाया जावे एवं वसुल कराया जावे। अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थी का अपमान नहीं करे, प्रार्थी को गालियाँ स्वयं बददुआ नहीं दे तथा दुर्व्यवहार नहीं करे तथा प्रार्थी को सम्मान पूर्वक शान्ति से अपनी वृद्धावस्था में अपना बाकी का जीवन–यापन करने में कतई किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करे तथा प्रार्थी का बतौर उनके पिता सम्मान करे तथा प्रार्थी की सेवा सुश्रुपा करे तथा प्रार्थी की वृद्धावस्था में उसको सहारा दे तथा समय पर उसे भोजन पानी दवा चिकित्सा इत्यादि को उपयुक्त सुविधा प्रदान करवाने के आदेश पारित करने का निवेदन किया है। साक्ष्य शपथ–पत्रों के आधार पर साबित हैं कि अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 प्रार्थी के पुत्र एवं अप्रार्थीगण संख्या 03 व 04 पुत्रवधुऐ है। प्रार्थी की सेवा सुश्रुषा एवं देखभाल करने का भार अप्रार्थीगण संख्या [illegible] यह भी साबित है कि प्रार्थी पेशनभोगी सेवानिवृत कर्मचारी है परंतु वृद्धावस्था [illegible] देखभाल करने का दायित्व संतान पर ही होता है। ऐसे प्रकरण में प्रार्थी [illegible] माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन प्रकरण एस.बी. सिविल रिट [illegible] संख्या 6192/2021 में पारित निर्णय दिनांक 27.03.2023 में आदेश पारित किये गये है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी की देखभाल नहीं की जा रही है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:49:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 05 (ए) (बी) विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 को आदेशित किया जाता है कि वे प्रत्येक माह की 10 तारीख तक राशि 5000–5000 हजार अदा करेगें। उक्त भरणपोषण राशि प्रत्येक माह की 10 तारीख को प्रार्थी के जीवित रहने तक अदा करेगें अप्रार्थीगण उक्त भरण पोशण की राशि अदा नहीं करते है तो प्रार्थी नियमानुसार कार्यवाही करके वसुल करने का अधिकारी होगा। अप्रार्थीगण संख्या 01 व 03 उक्त भरण–पो कोई हिसाब नहीं लेगें । प्रार्थी अपनी इच्छा अनुसार उक्त राशि का उपभोग व उपयोग कर सकेगा। अप्रार्थीगण संख्या 03 व 04 को आदेशित किया जाता है कि वे प्रार्थी से सम्मानपूर्वक व्यवहार करेगी तथा उनकी भोजन, दवाई तथा सेवा सुश्रुषा की उचित व्यवस्था करना सुनिश्चित करेगें। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफतर दाखिल हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 18.10.2024 को यह निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। उक्त निर्णय व आदेश से व्यथित होकर अपील अपीलान्टगण की ओर से पेश की जा रही है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्य के विरूद्ध निर्णय व आदेश पारित किया है। जो खारिज फरमाये जाने योग्य है। प्रार्थी ने अपनी जिरह में स्वयं ने स्वीकार किया है कि उसका अप्रार्थी स. 1 व 3 से किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। बल्कि अप्रार्थी स. 1 व 2 में एक दिन पहले झगड़ा हुआ था। इस कारण से विवाद पैदा हुआ है तथा अप्रार्थी सं. 2 शराब पीता है इन तथ्यों से साफ जाहिर होता है कि प्रार्थी को किसी भी प्रकार की कोई भरणपोषण राशि की आवश्यकता नही है। बल्कि प्रार्थी की दूसरी पत्नी से पैदा हुआ पुत्र अप्रार्थी स. 2 जो कि शराब पीता है तथा अप्रार्थी व उसकी पत्नी से झगड़ा फसाद करके अशान्ति करता है। प्रार्थी अप्रार्थी स. 2 व 4 का सहयोग करके अप्रार्थी स. 1 व 3 को हैरान परेशान करता है इसलिए उसने उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। लेकिन न्यांयालय वाली ने अपने निर्णय में कही पर भी उसकी साक्ष्य पर गौर नही कर उक्त विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो काबिले गौर है। प्रार्थी का स्वयं का निजी मकान नहीं है बल्कि वह पैतृक सम्पत्ति है इसी प्रकार प्रार्थी ने स्वयं के बतौर कर्ज 2 लाख रूपये अप्रार्थी सं 1 को रोजगार बाबत् उनका तथ्य उसकी जिरह स्वीकार किया है तथा स्वयं रेल्वे से रिटायर थानेदार व पेंशन प्राप्त करना व मेडिकल सुविधा रेलवे विभाग से प्राप्त करना स्वीकार किया है दुकान करता है। जबकि अप्रार्थी स. 1 के पास कोई स्थायी रोजगार नहीं होने का तथ्य जिरह में स्वीकार किया है इसके बावजूद भी न्यायालय वाला ने बिना किसी औचित्य के अप्रार्थी स. 1 विरूद्ध 5000/– रूपये मासिक भत्ता देने था। बिना किसी कारण पारित किया जो खारिज फरमाये जाने योग्य है। प्रार्थी की बतौर पिता सेवा सुश्रा करने के लिए अप्रार्थी स. 1 व 3 तैयार है व करते चले आ रहे है। लेकिन प्रार्थी अप्रार्थी स. 2 व 4 के बहकावे में आकर अप्रार्थी स. 1 व 3 को हैरान परेशान करने की नियत से पेश किया जो काबिले गौर है। प्रार्थी हष्ठ पुष्ठ व्यक्ति है तथा अपना दैनिक कार्य सुगमता से करता है तथा बाजार जाना आदि स्वयं करता है तथा प्रार्थी ने एक परचूनी की दुकान अपने निवास स्थान में खोल रखी है जिसमें स्वयं कार्य करता है जिससे प्रार्थीजख/रेस्पोडेन्ट स्वयं बाजार से सामान लाकर बेचता है जिससे मासिक करीब 15,000/– रूपये की बचत से आय होती है जो काबिले गौर होकर पारित निर्णय व आदेश खारिज फरमाये जाने योग्य है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपजिला कलेक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई का मुकदमा 12/2023 उनवानी किशनलाल बनाम रमेशचन्द वगै. दिनांक 18.10.24 को पारित निर्णय व आदेश को खारिज फरमाया जावे।

4. अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में क... ...कारी बांदीकुई द्वारा पारित निर्णय विधिवत रूप से किया गया है। अप्रार्थी सं0 1 ... 3 वर्षीय वृद्धावस्था का वरिष्ठ नागरिक है। साथ ही अप्रार्थी सं0 2 प्रार्थी ... दिनांक 03.02.2020 में फौत हो जाने पर अप्रार्थी किशनलाल कतई असहाय ... हो गया है तथा लगातार बीमार रहने लगा है तथा घुटनों के तीव्र दर्द के कारण चलने फिरने तथा अपने दैनिक कार्य करने में भी असमर्थ है तथा अप्रार्थी को अपने दैनिक कार्यो को करने के तथा भोजन पकाने के लिये भी दीगर लोगों के सहारे की सख्त आवश्यकता होती है लेकिन प्रार्थीगण कतई कर्तव्य विमुख है

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:49:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

तथा वे अप्रार्थी को सहारा देने तथा उसकी दैनिक कार्यो में मदद करने तथा उसे समय पर भोजन पानी दवा इत्यादि देने तथा चिकित्सा उपलब्ध कराने, सेवा करने तथा अप्रार्थी का मेन्टीनेन्स करने से कतई इन्कार है तथा वे अप्रार्थी को अपने उक्त मकान से जबरन बेदखल करने तथा सम्पूर्ण मकान पर अपना जबरन कब्जा करने को आमादा हो रहे है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. हमने उपखंड अधिकारी बांदीकुई द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.10.2024 का अवलोकन किया। आदेश अंतर्गत भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 5(1)(ए)(बी) के तहत यह आवश्यक है कि संबंधित उत्तरदाता की आर्थिक क्षमता एवं आवेदक की आवश्यकता के अनुरूप मासिक भत्ता तय किया जावे। प्रकरण में अपीलांट जिनके उपर प्रतिमाह 5000/–रू0 रेस्पों0 सं0 1 को दिये जाने के आदेश दिये गये है, इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का मस्तिष्क का उपयोग नहीं किया गया है। ऐसे में उत्तरदाता द्वारा अपनी आर्थिक क्षमता से अधिक भार उस पर डाला जाना अनुचित प्रतीत होता है। किशनलाल की जिरह में उनके द्वारा यह कथन किया गया है कि रमेश के पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है। प्राईवेट स्कूल खोल रखी है। प्राईवेट स्कूल से कितनी आय होती है यह स्पष्ट नहीं है। रमेश का यह कथन है कि उनके पास कोई स्थाई रोजगार नहीं है। हम प्रकरण को उपखंड अधिकारी बांदीकुई को रिमांड किये जाने योग्य समझते है।

7. अतः उपरोक्त विववेन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी बांदीकुई द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.10.2024 को निरस्त किया जाकर इस आशय से रिमांड किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय आवेदक की आवश्यकता एवं उत्तरदाता की आर्थिक क्षमता के अनुरूप मासिक भत्ते का निर्धारण करें। उभयपक्ष दिनांक 11.7.2025 को अधीनस्थ उपखंड अधिकारी बांदीकुई के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित होवें। उपखंड अधिकारी बांदीकुई उभयपक्ष की सुनवाई की जाकर संभवतः 45 दिवस में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 25 जून, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील नियत समयावधि के अंदर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:49:46 IST
Reason: SelfAttested